प्रकरण संख्या 01/2020 GCMS ID-2020/00053 तारीख रजु–13.07.2020

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

अवधराजसिंह पुत्र श्री दुर्गा सिंह जाति राजपूत निवासी आड़ा डूंगर हाल निवासी मिझोरा, थाना सपोटरा जिला करौली – अपीलार्थी

बनाम

सरकार – प्रत्यर्थी

अपील आर्म्स एक्ट

निर्णय

दिनांक–15.06.2021

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि न्याय अनुभाग, जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, कार्यालय करौली द्वारा आदेश दिनांक 02.07.2010 के द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के समय आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होने संबंधी गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने के कारण अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 64/डीएम/केएलआई/2000 को आगामी आदेशों तक निलंबित किया था जिसकी अपील संख्या 59/2010 अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में की गई जहां से प्रकरण को निर्णय दिनांक 02.02.2011 द्वारा रिमाण्ड किया गया। बाद कार्यवाही कार्यालय हाजा द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 10.01.2012 को निरस्त कर दिया जिसकी अपील संख्या 15/2012 अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में की गई जहां से प्रकरण को निर्णय दिनांक 06.11.2015 द्वारा रिमाण्ड किया गया। बाद कार्यवाही कार्यालय हाजा द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 07.3.2017 को अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल नहीं किया जाकर निरस्त ही रखा गया। उक्त निर्णय की अपील संख्या 187/2018 अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर में पुनः दायर की गई जिसमें अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी को सुना जाकर अपने निर्णय दिनांक 29.11.2019 को पत्रावली रिमाण्ड कर निर्देशित किया गया है कि अपीलाण्ट को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुए अपीलाण्ट के चाल–चलन व गोपनीय रिपोर्ट एवं उक्त दोनों रिपोर्ट्स के विरोधाभास को दूर करते हुए पुनः तार्किक एवं न्याय संगत निर्णय पारित करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को व्यक्तिगत तलब किया जाकर वकालतन/असालतन सुनवाई हेतु अवसर दिया गया। पुलिस अधीक्षक, करौली से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। अपीलार्थी वकालतन उपस्थित हुआ।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने बहस में कथन किया है कि अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र वर्ष 2010 तक नवीनीकृत होता रहा है। दौराने नवीनीकरण अवधि अपीलार्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीबद्ध नहीं था। अपीलार्थी के विरुद्ध पंजीबद्ध मुकदमे का निस्तारण 1998 में ही हो चुका था। शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होने के उपरांत अपीलार्थी के विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीबद्ध नहीं हुआ है और ना ही अपीलार्थी द्वारा अपने शस्त्र का दुरुपयोग किया गया है। अंत में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल फरमाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के समय कोई मुकदमा पंजीबद्ध नहीं होने का शपथ–पत्र दिया था जिसके असत्य पाये जाने पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित व बाद में निरस्त किया गया था। अंत में शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त फरमाने का कथन किया है।

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा पत्रांक–ल–1( )श.अ. बहाली/डीएसबी/2021/7555 दिनांक 22.09.2020 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी का शस्त्र दिनांक 13.07.2010 से थाना सपोटरा में जमा है। अनुज्ञापत्रधारी के विरुद्ध मु.नं. 156/94 धारा

जिला कलक्टर करौली

379, 147 आई.पी.सी. पंजीबद्ध हुआ जिसमें अपीलार्थी के विरुद्ध चालान पेश न्यायालय किया गया। न्यायालय द्वारा दिनांक 09.11.1998 को फैसला धारा 4 के तहत 2000 रुपये के मुचलके से 2 साल के लिये नेक चलन के लए पाबंद किया गया था। अंत में अनुज्ञापत्रधारी के शस्त्र अनुज्ञापत्र को बहाल किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

हमने उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के समय कोई मुकदमा पंजीबद्ध नहीं होने का शपथ–पत्र दिया था जिसके असत्य पाये जाने पर अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र निलंबित व बाद में निरस्त किया गया था। अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र वर्ष 2010 तक नवीनीकृत होता रहा है। पुलिस अधीक्षक, करौली की रिपोर्ट के मुताबिक अपीलार्थी के विरुद्ध पंजीबद्ध मुकदमे का निस्तारण वर्ष 1998 में हो चुका है। अपीलार्थी का शस्त्र दिनांक 13.07.2010 से थाना सपोटरा में जमा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना उचित समझते हैं।

अतः इस कार्यालय का आलोच्य आदेश दिनांक 07.03.2017 निरस्त किया जाता है एवं अपीलार्थी का शस्त्र प्राधिकार पत्र संख्या 64/डी.एम./केएलआई/2000 बहाल किया जाता है। प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग उक्त अनुज्ञापत्र को नियमानुसार नवीनीकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति पुलिस अधीक्षक करौली एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय अनुभाग, कलक्ट्रेट, करौली को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
करौली